

19.12.2024

वकील वादी अपारिचित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकील मय वादी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादी में से कोई उपारिचित नहीं हुआ है। लिहाजा वादी का वाद अइम पैरवी व अइम झाजिरी में खारिज किया जाता है। फ़ावली फैसल सुमार होकर दाखिल इफ़तर हो

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा